

File No. - 1180000/- M. Lok.


Stamp: - 81012/-

FEE PAID
A1..... 46,059.00
Land Lord Fee..... 100
Process Fee..... 100
46063.00

धारा 29 के अधीन तथा आठाना अधिनियम का अन्तर्गत है।
अपानयन की शर्तों के अधीन मो. पा. 29 है।
यदि स्टाम्प अधिनियम 1956 का अनुच्छेद 9 का
संबंध में अधिनियम द्वारा स्टाम्प अधिनियम
का अन्तर्गत शुल्क के निम्नलिखित भागों में बांटा है।

02.03.2023

विशेष पदा, लोहरदगा
(आरखण्ड)



ATTESSED

Adv. Imran Nuran
Civil Court, Lohardaga
L. No. - 3177/04

01/08/2023

विक्रय सम्पत्ति प्रतिवन्धित भूमि
की सूची के अन्तर्गत नहीं है।
02.09.23

Valuation Per Decimals
Land.....

Permission Case No. 533/2021-22 by the Court of L.R.D.C,
Lohardaga in his Order dated 09-07-2022

नाम मोकरी (SELLER):-

श्री गनौरी राम, उम्र-74 वर्ष, पिता स्व0 रामेश्वर राम,
दादा स्व0 शिव लोचन राम, श्रेणी-BC (CNT ACT, 1908
से आच्छादित है), पेशा गृहस्ती, साकिन कुटमू, थाना एवं
जिला लोहरदगा, झारखण्ड राज्य भारतीय नागरिक।

M.No.- 9431929766, UID- XXXX XXXX 6548, PAN-AAUPR6956L

नाम मोकरी अत्रैह (PURCHASER):-

श्री चन्दन वर्मा, उम्र-39 वर्ष, पिता स्व0 बजरंग वर्मा,
दादा स्व0 रघुनन्दन राम, श्रेणी-BC (CNT ACT, 1908 से
आच्छादित है), पेशा नौकरी, साकिन कैमो पतरा टोली
लोहरदगा, थाना एवं जिला लोहरदगा, झारखण्ड राज्य
भारतीय नागरिक।

M.No.- 9835781814, UID- XXXX XXXX 6483, PAN-AGMPV2920N

मूल पहचान पत्र एवं अन्य
सम्बन्धी पत्र से मिलान किया, सही पाया।
02.09.23

भारग दर्शिका पंजी से
मिलान किया गया।
02.09.23

पहचानकर्ता :-
नाम :- Manish Kumar Singh
पिता :- श्री. Nageshwar Pr. Singh
पता :- Dubey Colony, Lohardaga

आधार नं० :- XXXX XXXX 1313

जो हर तरह के वारदैन वो हकियत नुक्श से पाक वो साफ है, अगर किसी किस्म का नुक्श होगा तो मनमोकिर उसे पाक वो साफ कर देंगे। अन्दर जमीन्दारी झारखण्ड सरकार थ्रू सर्कल आफिसर लोहरदगा, जमीन पर मकान निर्मित नहीं है, जमीन मकान बनाने योग्य है। जिसका माल सलाने मो0 1 रू0। अंदर नगरपालिका लोहरदगा वार्ड नं0 -5 के क्षेत्राधिकार में आता है, जिसका होल्डिंग सं0- 0050000767000M0 है।

25/11/2023
01/03/2023

जमीन का विवरण

मौजा :- कुटमू (वार्ड नं0 5)		श्रेणी :- आवासीय
आर0एस0 खाता	आर0एस0 प्लॉट	बिक्री रकबा
75	1178	5.9 डिसमिल

जमीन का चौहद्दी

उत्तर :- पार्ट प्लॉट नं0 1178
दक्षिण :- रोड 11 फीट
पूरब :- पार्ट प्लॉट नं0 1178
पश्चिम :- रोड 11 फीट

जमीन का नाप

उत्तर जानिब पूरब पश्चिम - 30'0"
दक्षिण जानिब पूरब पश्चिम - 30'0"
पूरब जानिब उत्तर दक्षिण - 86'0"
पश्चिम जानिब उत्तर दक्षिण - 86'0"

बै मौजीप मैप जो शामिल कैवाला के एक कित्ता नक्शा नथी है जिसपर बिक्री रकबा रंग लाल से दिखलाया गया है वो मेजरमेंट दर्ज है।

487

477



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 27a38083c80be7629676

Receipt Date : 02-Mar-2023 11:34:18 am

Receipt Amount : 61412/-

Amount In Words : Sixty One Thousands Four Hundred And
Twelve Rupees Only

Token Number : 202300027566

Office Name : SRO - Lohardaga


Document Type : Sale Deed

Payee Name : CHANDAN VERMA (Vendee)

GRN Number : 2316035518



02.03.2023



इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

2171 / 02.03.2023

घोषित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि खतियान के अनुसार सरकारी नहीं है और ना सरकार के द्वारा अधिग्रहण ही किया गया है, घोषित करते हैं कि प्रसांगिक भूमि भूदान, भू हदबन्दी, लीज तथा भू बन्दोबस्ती की नहीं है, यह भूमि खनन एवं वन सीमा से बाहर है तथा घोषित किया जाता है कि यह भूमि मठ, मन्दिर, गिरजा, मस्जिद, सरना तथा गुरूद्वारा का नहीं है, स्पष्ट किया जाता है कि प्रसांगिक भूमि की बिक्री पूर्व में नहीं की गई है, यह भी घोषित किया जाता है कि यह जमीन आदिवासी खाता की जमीन नहीं है। यह भी घोषित किया जाता है कि यह जमीन छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम के धारा 46 (1)(b) के दायरे में आने वाली अनुसूचित जाति की है।

आगे मन मोकीर, मोकिर अलैह मजकुर से मो0 11,80,000/- रूपया नगद लेकर जमीन मजकुरे वाला को साथ मोकिर अलैह मजकुर के साथ बेचा वो बैला कलामी किया वो आज के रोज से उपरोक्त जमीन पर मोकीर अलैह मजकुर को काबीज दखलकार किया चाहिए कि मोकीर अलैह मजकुर मै उनके वारिसान उपर सै जमीन पर कायम काबीज दखलकार होकर वो रह कर “कच्चा पक्का मकान बनावें” या चाहरदिवारी दें या जैसा पसंद हो करें वो अब आज के तारीख से किसी किसीम का हक हकुक उपर सै मोवईया मजकुर के मनमोकिर या उनके वारिसान का नही रहा वो न होगा वो जिस कदर हक हकुक उपर सै मोवईया मजकुर के मनमोकिर या उनके वारिसान का था या होता वह सब कुल हक हकुक आज के रोज से बंजीन्सहु मोकीर अलैह मजकुर वो उनके वारिसान का हुआ वो होगा जमीन मजकुरे वाला हर तरह के वारदेन वो हकियत के नुक्श से पाक वो साफ है वो सै बिक्री जमीन का दाखिल खारिज वगैरह करा लेवे वो माल सलाने जमीन्दार मौजा मजकुर को देकर साल ब साल अपने नाम से रसीद हासिल कर लिया करे कोई उजुर न होगा इस वास्ते हम अपने खुशी से कुल रूपया नगद ले कर केवाला बैला कलामी लिख दिया के वक्त पर काम आवे।

21/05/2017

तारीख माह मार्च सन् 2023 ई0

ड्राफ्टेड बाई :- ईमाम नूरानी, अधिवक्ता साकिन लोहरदगा।
मजमून पढ कर मोकिर को सुना वो समझा दिया।

क्रेता का हस्ताक्षर एवं बायें हाथ के पाँचों अंगुलियों का निशान



Chaudhary Venu

21/7/2023
20/03/2023

कनिष्ठका	अनामिका	माध्यमा	तर्जनी	अंगूठा

प्रमाणित किया जाता है कि क्रेता, विक्रेता एवं पहचानकर्ता को स्व अतिप्रमाणित फोटोयुक्त छायाप्रति परस्पर के हाथ संलग्न किया है या विकरणी दिया है तो पूर्ण रूप से सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं अस्पष्टता पाए जाने पर मैं स्वयं इसका जिम्मेदार रहूँगा।

Certified that the finger prints of the left hand of each person whose photographs is affixed in the document have been obtained before me.

IDENTIFIER



Manish Kumar Singh

Imam Nurani
Advocate
Licence.NO. 3177/2004

Type By:-